

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा

जनपद न्यायालय आगरा में अपर सिविल जज(जू0डि0) न्यायालय संख्या-01 आगरा, अपर सिविल जज(जू0डि0) न्यायालय संख्या-02 आगरा व अपर सिविल जज(जू0डि0) न्यायालय संख्या-07 आगरा के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा जनपद आगरा में कार्यभार ग्रहण कर लिए जाने के फलस्वरूप मजिस्ट्रेट न्यायालयों के फौजदारी वादों के कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय, के मौखिक निर्देशानुसार पूर्व में पारित प्रशासनिक आदेश दिनांकित 11.07.2022, 05.09.2022, 09.12.2022 व 09.01.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए जनपद न्यायालय आगरा में मजिस्ट्रेट न्यायालयों से संबंधित फौजदारी वादों के क्षेत्राधिकार में निम्न प्रकार से व्यवस्था की जाती है:-

क्र०सं०	न्यायालय का नाम०	थाना
1	श्री सुमित चौधरी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-01, आगरा	थाना टांस यमुना व किरावली से संबंधित समस्त पुलिस चालानी एवं परिवाद
2	श्री अर्जुन, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-02, आगरा	थाना एम०एम०गेट के पुलिस चालानी एवं परिवाद तथा थाना बाह, डौकी, बासौनी, मंसुखपुरा, फतेहाबाद, चित्राहाट, पिनाहट, पिढौरा, शमशाबाद, निबोहरा, बसई अरेला, खेड़ा राठौर व जैतपुर के सेशन टायल
3	श्रीमती आकांक्षा गुप्ता, अपर सिविल जज(जू0डि0) न्यायालय संख्या-01, आगरा	थाना खंदौली व अछनेरा से संबंधित समस्त पुलिस चालानी एवं परिवाद
4	श्रीमती भाव्या श्रीवास्तव, अपर सिविल जज(जू0डि0) न्यायालय संख्या-02, आगरा	थाना खेरागढ़ से संबंधित समस्त पुलिस चालानी व परिवाद एवं थाना ताजगंज से संबंधित परिवाद
5	श्रीमती अनुकृति संत, अपर सिविल जज(जू0डि0) न्यायालय संख्या-07, आगरा	थाना जगदीशपुरा व नाई की मण्डी से संबंधित समस्त पुलिस चालानी व परिवाद एवं थाना सदर से संबंधित परिवाद
4	श्री हरेन्द्र सिंह, अपर सिविल जज(जू0डि0)फतेहाबाद, आगरा	थाना बमरौली कटारा से संबंधित समस्त पुलिस चालानी एवं परिवाद

नोट: यह संशोधित व्यवस्था माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय के अनुमोदन के उपरांत तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

दिनांक: 17.02.2023

ह०/—
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
आगरा।

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा

जनपद न्यायालय आगरा में अपर सिविल जज(जू0डि0) न्यायालय संख्या-01 आगरा के पीठासीन अधिकारी श्री अमित कुमार यादव के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय किरावली हो जाने के कारण उक्त न्यायालय रिक्त हो गई है, जिस कारण मजिस्ट्रेट न्यायालयों के फौजदारी वादों के कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय, के मौखिक निर्देशानुसार पूर्व में पारित प्रशासनिक आदेश दिनांकित 11.07.2022, 05.09.2022 व 09.12.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए जनपद न्यायालय आगरा में मजिस्ट्रेट न्यायालयों से संबंधित फौजदारी वादों के क्षेत्राधिकार में निम्न प्रकार से व्यवस्था की जाती है:-

क्र०सं०	न्यायालय का नाम०	थाना
1	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-04, आगरा	पूर्व से लंबित वादों के अतिरिक्त थाना एत्मादपुर से संबंधित पुलिस चालानी एवं परिवाद एवं पूर्व से लंबित एम.वी.एक्ट व एन.आई.एक्ट से संबंधित वाद
2	सिविल जज(जू0डि0) फास्ट टैक कोर्ट आगरा	पूर्व से लंबित वादों के अतिरिक्त थाना कागारौल के पुलिस चालानी एवं परिवाद
3	अपर सिविल जज(जू0डि0) न्यायालय संख्या-06, आगरा	पूर्व से लंबित वादों के अतिरिक्त अपर सिविल जज(जू0डि0) न्यायालय संख्या-01 आगरा में लंबित एम.वी.एक्ट से संबंधित वाद
4	अपर सिविल जज(जू0डि0) न्यायालय संख्या-08, आगरा	पूर्व से लंबित वादों के अतिरिक्त थाना हरीपर्वत से संबंधित परिवाद

नोट: यह संशोधित व्यवस्था माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय के अनुमोदन के उपरांत तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

ह०/-

दिनांक 09.01.2023

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
आगरा

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा
संशोधित आदेश

जनपद आगरा में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक अधिकारी के स्थानान्तरण के फलस्वरूप एवं जनपद न्यायालय आगरा के मजिस्ट्रेट न्यायालयों के फौजदारी वादों के कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय के मौखिक निर्देशानुसार जनपद न्यायालय, आगरा के थानों से संबंधित फौजदारी वादों के क्षेत्राधिकार धारा 15 सी.आर.पी.सी. की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21.06.2021, 16.09.2021 व 06.12.2021 को पारित आदेश में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है:-

क्र०सं०	न्यायालय का नाम	थाना
1	न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा	पूर्व से लंबित वादों के अतिरिक्त थाना सिकंदरा आगरा से संबंधित पुलिस चालानी वाद।
2	न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा	पूर्व से लंबित वादों के अतिरिक्त थाना लोहामण्डी आगरा से संबंधित पुलिस चालानी वाद व थाना लोहामण्डी से संबंधित समस्त परिवाद एवं पूर्व से लंबित परिवाद।
3	न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-02, आगरा	थाना छत्ता व छावनी परिषद से संबंधित पुलिस चालानी व उनसे संबंधित परिवाद एवं थाना सिकंदरा से संबंधित परिवाद एवं पूर्व में लंबित अन्य वाद।
3	न्यायालय अपर सिविल जज(जू.डि.) कक्ष संख्या-02, आगरा	महिला थाना आगरा से संबंधित समस्त पुलिस चालानी एवं परिवाद व थाना कमलानगर एवं न्यू आगरा से संबंधित धारा 138 एन0आई0 एक्ट के परिवाद एवं पूर्व में लंबित वाद

नोट: माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित वाद, संबंधित न्यायालय में यथावत रहेंगे।

उक्त संशोधित माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय के अनुमोदन उपरांत तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

दिनांक: 29.01.2022

ह०/-
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
आगरा।